एस.एस.बी. कार्मिकों के लिए स्थानान्तरण दिशानिर्देश-2016

पूर्व में प्रकाशित स्थानान्तरण संबंधी दिशानिर्देश संदर्भ बल मुख्यालय सं0 1/48/एसएसबी/स्थानान्तरण/कार्मिक-V/ओआरजी/2014(35)/12382-567 दिनांक 25 नवम्बर 2014 तथा उत्तरवर्ती दिशानिर्देश/उपर्युक्त विषय पर जारी अनुशेष और प्रशासनिक शक्तियों के क्रम सं. 20(स्थानान्तरण/तैनाती) संदर्भ बल मुख्यालय कार्यालय आदेश सं.1/39/एस.एस.बी/कार्मिक-V/ओआरजी/2012/9527-9687 दिनांक 22/10/2013 का अधिक्रमण करते हुए एस.एस.बी. कार्मिकों के लिए परिशोधित स्थानान्तरण दिशानिर्देश निम्न प्रकार होंगे:-

2. **प्रार्थना पत्र:-**

स्थानान्तरण संबंधी ये दिशानिर्देश सभी रैंक के एस.एस.बी. कार्मिकों जिसमें वर्दीधारी तथा गैर वर्दीधारी कार्मिक शामिल हैं पर लागू होंगे। जबकि खेल कार्मिकों (परिशिष्ट-क), बैंड के सदस्यों (परिशिष्ट-ख) एवं प्रशिक्षकों के लिए अलग से नीतिगत दिशानिर्देश हैं।

3. **परिभाषा:-** इस संदर्भ में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ इस प्रकार होगा:-

(i) **सक्षम अधिकारी** -अर्थात स्थानान्तरण संबंधी आदेश निकालने वाले अधिकारी।

(ii) **कार्मिक** -अर्थात सशस्त्र सीमा बल के सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारी।

(iii) **ड्यूटी बटालियन** -अर्थात भारत-नेपाल तथा भारत-भूटान सीमाओं या आईएस/ एएनओ ड्यूटियों या सी आई ऑप्स पर एक्टिव ड्यूटी पर तैनात बटालियन।

(iv) **ड्यूटी एरिया** -अर्थात वह क्षेत्र जहाँ बटालियन तैनात है।

(v) **फील्ड सर्विस** -अर्थात ड्यूटी बटालियन या ड्यूटी एरिया पर दी जाने वाली सेवा।

(vi) **टेन्योर (तैनाती का कार्यकाल) -** अर्थात किसी फारमेशन/फ्रंटीयर में लगातार तैनाती का समय। अस्थाई ड्यूटी/कार्मिक के मनचाहे स्थान पर अटैचमेंट और अवकाश (60 दिन से अधिक) को तैनाती के कार्यकाल से घटा दिया जाएगा।

(vii) **कार्यकाल निर्धारण के लिए कट-ऑफ तिथि -** कार्यकाल निर्धारण की तिथि स्टेशन पर आमद करने के समय से मानी जाएगी।

(viii) **परिवार** -अर्थात बल कार्मिक की पत्नी/पति या आश्रित बच्चे।

(ix) **नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर)-** दिल्ली तथा एनसीआर क्षेत्र में स्थित एसएसबी के सभी कार्यालयों के साथ अन्य (संगठनों) के कार्यालय (उनके लिए जो प्रतिनियुक्ति पर हैं)। तैनाती की तिथि से नेशनल कैपिटल रीजन को एक ही स्टेशन माना जाएगा।

(x) **कूलिंग ऑफ पीरियड-** का अर्थ है ड्यूटी बटालियन/एरिया में 3 वर्ष का समय जिसके बाद ही स्टैटिक फारमेशन में स्थानान्तरण के द्वितीय कार्यकाल पर विचार किया जाएगा। तथापि, यदि संबंधित कार्मिक ए एन ओ/आई एस ड्यूटी अथवा सी आई ऑप्स पर तैनात किसी बटालियन में 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करता है तो इस समयावधि को 2 वर्ष कर दिया जाएगा। उसी स्थान/फारमेशन में द्वितीय कार्यकाल में विचार करने के लिए कूलिंग पीरियड 8 वर्ष का होगा।

(xi) **स्टैटिक फॉरमेशन -** स्टैटिक फॉरमेशन में निम्नलिखित संस्थान/स्थापनाएँ/यूनिट समाहित होंगे, जिन्हें स्टैटिक घोषित किया गया है,

(क) बल मुख्यालय
(ख) सीमान्त मुख्यालय
(ग) क्षेत्रीय मुख्यालय
(घ) प्रशिक्षण केन्द्र
(ङ) कम्पोज़िट अस्पताल
(च) अन्य विभागों की स्थापनाएँ, प्रतिनियुक्ति के आधार पर
(छ) सी एस डी एण्ड डब्ल्यू भोपाल औरडब्ल्यू सलोनीबाड़ी
(ज) समय-समय पर घोषित अन्य कोई स्थापनाएँ/प्रतिष्ठान

(xii) **स्थान का वर्गीकरण-** स्थानान्तरण को दृष्टिगत रखते हुए, समय - समय पर आवश्यकतानुसार प्रचालन निदेशालय द्वारा बटालियन व फारमेशन का वर्गीकरण किया जाएगा।

4. **अनिवार्य फील्ड सर्विस-**

क) बल में प्रथम नियुक्ति होने पर सामान्य कार्मिक अपना बेसिक प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद, ड्यूटी बटालियन में 5 वर्ष अपनी सेवाएं देंगें। इन 5 वर्षों के बाद ही कार्मिक को स्टैटिक फारमेशन ड्यूटी पर तैनात करने के विषय में विचार किया जाएगा। (यह अवधि प्रशिक्षण केन्द्र अथवा तदर्थ प्रशिक्षण केन्द्रों में अधीनस्थ अधिकारियों व अन्य तथा एस एस बी अकादमी में अधिकारियों द्वारा बी आर टी सी में बिताए समय के अतिरिक्त होगी)।

ख) सहायक कमांडेंट, उप निरीक्षक और सिपाही (सामान्य), जैसे इन सामान्यरंगरुटों को प्रशिक्षण केन्द्र से दीक्षान्त होने के तुरंत बाद फील्ड में ड्यूटी बटालियन में 5 वर्ष के लिए तैनात किया जाएगा। जहाँ तक संभव हो , सहायक कमांडेंटों की तैनाती कम्पनी कमाडंरों तथा उपनिरीक्षकों की तैनाती बी ओ पी कमाण्डर के स्तर पर की जानी चाहिए।

5. **तैनाती की समयावधि (टेन्योर):-**

(क) प्रचालन निदेशालय द्वारा वर्गीकृत क्षेत्रों में तैनाती की अवधि निम्न प्रकार होगीः-

(i)	एएनओ/आईएस/सीआई ऑप्स	-	2 वर्ष
(ii)	अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्र	-	2 वर्ष
(iii)	कठिन क्षेत्र	-	2 वर्ष
(iv)	सामान्य क्षेत्र	-	3 वर्ष

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न वर्गीकृत क्षेत्रों में तैनाती की अवधि होगीः-

(i) स्टैटिक फॉरमेशन के लिए कार्यकाल अवधि - 3 वर्ष
(ii) सीमान्त-6 वर्ष (प्रत्येक फॉरमेशन में 3 वर्ष के 2 सामान्य कार्यकाल या फील्ड फॉरमेंशन में 3 वर्ष का 1 स्टैटिक कार्यकाल)

अथवा

5 वर्ष (3 वर्ष का एक फील्ड/स्टैटिक फॉरमेशन कार्यकाल और 2 वर्ष की एक तैनाती जिसमें- कठिन/अधिक ऊँचाई/एएनओ/आईएस/सीआई ऑप्स ड्यूटियों की तैनाती शामिल होगी।)

जबकि, अन्य के लिए एनसीआर में कार्यकाल 5 वर्ष का तथा सहायक उपनिरीक्षक या समकक्ष पद या इससे ऊपर के लिए कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

6. **तैनाती की समयावधि के नियमों में अपवाद:-**

क) ऐसे कार्मिक जो ऊँचे पहाड़ी इलाकों/ए एन ओ/आई एस ड्यूटी/सी आई ऑप्स ड्यूटी में अपनी इच्छा से रुकना चाहते हैं तो उन्हें यूनिट प्रमुख की संस्तुति पर एक-एक वर्ष के लिए 2 समयावधि तक वहाँ रुकने की अनुमति दी जाएगी।

ख) पारस्परिक स्थानान्तरण की स्थिति में बल मुख्यालय से स्थानान्तरित व्यक्ति को अपने विकल्पित व्यक्ति से एक माह पूर्व रिपोर्ट करना होगा, जिससे वह उन कार्यों को करने के लिए अभ्यस्त हो जाएं, जो उन्हें करना है।

ग) 2 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले अधीनस्थ अधिकारी और अन्य कार्मिकों को जहाँ तक संभव होगा, उनके पसंद के फ्रंटीयर में तैनात किया जाएगा। ऐसे अराजपत्रित अधिकारी जो पदोन्नति के बाद राजपत्रित हुए हैं, को उनके पसंद के फ्रंटीयर में पदों की उपलब्धता के आधार पर तैनात किया जाएगा।

घ) 50 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिकों को 7000 फीट से ऊपर स्थित बीओपी /कंपनी/बटालियन में तैनात नहीं किया जाएगा। यदि वे स्वयं इसके लिए अनुरोध करते हैं, तो ही उस पर विचार किया जाएगा।

7. **वार्षिक स्थानान्तरण की समयावधि:-**

क) बल मुख्यालय-वार्षिक स्थानान्तरण:-

i) प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा वार्षिक तैनाती व स्थानान्तरण संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे।

ii) ऐसे स्थानान्तरण के विरुद्ध यदि कोई अभ्यावेदन हो तो उसे, आदेश जारी होने के 7 दिन के अंदर जमा कराना होगा। 7 दिन के बाद नियंत्रक अधिकारी द्वारा किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि संबंधित कार्मिक अवकाश पर है तो उन्हें यथाशीघ्र सूचित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उन्हें सूचना मिलने के बाद 7 दिन की गिनती प्रारम्भ होगी।

iii) ऐसे अभ्यावेदन शीघ्रातिशीघ्र सक्षम प्राधिकारी तक उचित माध्यम द्वारा 15 दिन के अंदर पहुँच जाना चाहिए, जिससे अगले 15 दिन के अंदर उसका समाधान हो सके।

iv) यदि संबंधित व्यक्ति की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती तो उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

v) स्थानान्तरित किए गए किसी भी कार्मिक का अवकाश केवल गंभीर आकस्मिक स्थिति के अतिरिक्त स्वीकार नहीं किया जाएगा।

vi) पदोन्नति पर स्थानान्तरण, प्रशासनिक/प्रचालन आवश्यकता/अनुशासनात्मक और अनुकंपा अथवा चिकित्सा आधार पर स्थानान्तरण का प्रसंस्करण कैडर नियंत्रक शाखाओं द्वारा किया जाएगा तथा वार्षिक स्थानान्तरण व तैनाती के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किए जाएगें।

ख) फ्रंटीयर मुख्यालय-वार्षिक स्थानान्तरण:-

i) अब से, राजपत्रित अधिकारी बल मुख्यालय द्वारा सीधे यूनिट/फारमेशन में तैनात किए जाएंगे जबकि सभी अराजपत्रित अधिकारी स्थानान्तरण पर फ्रंटीयर/फारमेशन में भेजे जाएंगे।

ii) चूंकि स्थानान्तरण केवल ई-टास (e-Tas) द्वारा ही किए जाएंगे, अतः बल मुख्यालय साफ्टवेयर के माध्यम से फ्रंटीयर को आबंटित करेगा। आबंटन प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर, फ्रंटीयर के महानिरीक्षक इसे यूनिट को आबंटित करेंगे, संबंधित फ्रंटीयर द्वारा यूनिट आबंटित करने के बाद, प्रत्येक यूनिट को e-Tas के माध्यम से, बल मुख्यालय द्वारा स्थानान्तरण आदेश जारी किए जाएंगे।

iii) यूनिट में कार्मिक को तैनात करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी कार्मिक 2 वर्ष से अधिक कठिन बटालियन में तैनात न रहे और किसी भी कार्मिक को बार-बार स्थानान्तरित न किया जाए। तथापि, बल मुख्यालय अपरिहार्य परिस्थितियों में कभी भी आवश्यकतानुसार किसी भी कार्मिक को किसी भी यूनिट में

स्थानान्तरित कर सकता है। ऐसे मामलों में फ्रंटीयर के महानिरीक्षक, बल मुख्यालय की पूर्व अनुमति के बिना स्थानान्तरण नहीं करेंगे।

iv) ऐसे कार्मिकों की सूची जिन्होंने फ्रंटीयर में अपनी तैनाती की समयावधि पूर्ण कर ली है तथा उन्हें अब अन्य फ्रंटीयर में स्थानान्तरित किया जाना है, बल मुख्यालय को 31 दिसम्बर तक भेज दें, जिससे इन मामलों पर वार्षिक स्थानान्तरण के दौरान विचार किया जा सके।

v) सभी फ्रंटीयरों द्वारा स्थानान्तरण संबंधी आदेश बल मुख्यालय के वार्षिक स्थानान्तरण पूर्ण हो जाने के बाद 15 फरवरी तक जारी किए जाएंगे।

vi) फ्रंटीयर के महानिरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कठिन/ए एन ओ/आई एस/ सी आई ऑप्स/ ऊँचे कठिन क्षेत्रों में तैनात कोई भी कार्मिक, तैनाती की अपनी समयावधि पूर्ण होने के बाद वहाँ न रुकें। वे ये भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई कार्मिक कठिन/ /ए एन ओ/आई एस/ सी आई ऑप्स/ ऊँचे क्षेत्रों में स्थित बटालियन/एरिया से वापस आकर फ्रंटीयर में रिपोर्ट करता है तो उन्हें उसी प्रकार की किसी बटालियन/ एरिया में पुनः न भेजा जाए।

ग) <u>समय सीमा:-</u>

सभी वार्षिक स्थानान्तरणों का कार्यान्वयन 30 अप्रैल तक पूर्ण हो जाना चाहिए।

8. वार्षिक स्थानान्तरण आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी:-

क) **राजपत्रित अधिकारी:-**

i) सभी राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण महानिदेशक एसएसबी के आदेश पर जारी किए जाएंगे। इसके लिए, स्थानान्तरण की संस्तुति व जाँच करने के लिए प्रत्येक वर्ष समय से सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक विभागीय स्थानान्तरण समिति का गठन किया जाएगा। समिति में निम्न अधिकारी होंगे:-

विशेष महानिदेशक/ अपर महानिदेशक	-	अध्यक्ष
महानिरीक्षक (कार्मिक एवं प्रशिक्षण)	-	सदस्य
महानिरीक्षक (प्रचालन एवं सूचना)	-	सदस्य
महानिरीक्षक (प्रावधान)	-	सदस्य
महानिरीक्षक (प्रशासन)	-	सदस्य
एक उप महानिरीक्षक (सेक्टर)	-	सदस्य (चक्रानुक्रम)
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)	-	संयोजक

ii) मेडिकल और वेटनेरी अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए, महानिरीक्षक (मेडिकल)/उपमहानिरीक्षक (वेटी) सहयोजित सदस्य होंगे। इसी प्रकार इंजीनियर्स कैडर के स्थानान्तरण के संबंध में महानिरीक्षक (वर्क्स) को भी सहयोजित सदस्य बनाया जा सकता है।

ख) **अराजपत्रित अधिकारी:-**

i) सभी अन्तर सीमान्त और अन्तर फॉरमेशन में निरीक्षक या समकक्ष या इससे नीचे पद तक के कार्मिकों के स्थानान्तरण महानिरीक्षक (कार्मिक) के आदेश पर जारी किए जाएंगे। इसके लिए, स्थानान्तरण की संस्तुति व जाँच करने के लिए प्रत्येक वर्ष समय से सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक विभागीय स्थानान्तरण समिति का गठन किया जाएगा। समिति में उप महानिरीक्षक (कार्मिक) की अध्यक्षता में निम्न अधिकारी होंगे:-